न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 37/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 30.01.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

राजेश नागर पुत्री श्री खेमलाल उर्फ खेमराज पत्नी श्री ललित जाति धाकड निवासी ग्राम जयनगर तहसील अन्ता हाल निवासी रावण जी का चौक बारां, तहसील बारां, जिला बारा,

.....अपीलान्टा

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जयनगर, तहसील अन्ता, जिला बारां
2. घींसी बाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति धाकड मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1. रामप्रसाद पुत्र श्री किशनलाल एवं घींसी बाई

2/2. रघुनाथ पुत्र श्री किशनलाल एवं घींसी बाई

2/3. हेमराज पुत्र श्री किशनलाल एवं घींसी बाई

2/4. छोटूलाल पुत्र श्री किशनलाल एवं घींसी बाई

जाति धाकड निवासीगण ग्राम बूढनी, तहसील सागोद जिला कोटा

2/5. जगन्नाथी पुत्री श्री किशनलाल एवं घींसी बाई पत्नी श्री शंकरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम अकलेरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड

2/6. रघुनाथी पुत्री श्री किशनलाल एवं घींसी बाई पत्नी श्री प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश मेहता अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र.1
श्री जगदीश नन्दवाना, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक – रेस्पो. क्र. 2

अति. स. आयुक्त
कोटा

::निर्णय::

दिनांक 12.09.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण बउनवान खेमलाल उर्फ खेमराज बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2024 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जगदीश एवं राजेश नागर की ओर से खेमलाल उर्फ खेमराज पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर अंता का दिनांक 21.09.2023 को स्वर्गवास होने पर मृतक खातेदार खेमलाल उर्फ खेमराज की आराजी के संबंध में पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र पेश कर वारिसान के नाम फौती इंतकाल खोले जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रो के संबंध में प्रार्थीया राजेश नागर के द्वारा मृतक खेमलाल की पुत्री होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया जाना वर्णित करते हुए राजेश नागर का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। साथ ही जगदीश प्रसाद के मृतक खेमलाल का सगा भाई व घींसी बाई (मृतक) सगी बहन होने तथा मृतक खेमलाल का अन्य कोई जायज वारिस ना होना वर्णित करते हुए प्रार्थी जगदीश प्रसाद को उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मृतक खेमलाल का वारिस मानते हुए मृतक खेमलाल धाकड़ निवासी जयनगर के खाते की आराजी ग्राम गोविन्दपुरा के खाता संख्या 34 की खसरा सं0 676 रकबा 3.31 है0, खाता सं0 32 के खसरा सं 677 रकबा 0.010 है0, खाता सं0 33 खसरा सं0 646 रकबा 1.97 है0 एवं ग्राम जयनगर की आराजी खसरा सं0 28 की खसरा सं0 108 रकबा 0.28 है0 एवं खाता सं0 30 की खसरा सं0 58 रकबा 0.36 है0 भूमि पटवार मण्डल जयनगर पर मृतक खातेदार खेमलाल पुत्र भंवरलाल का फौती नामांतरकरण सह खातेदार भाई जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल एवं घींसी बाई पुत्री भंवरलाल के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 02.12.2024 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम जयनगर पटवार हल्का जयनगर तहसील अंता के माल में खाता सं0 28 में वर्णित खसरा सं0 108 रकबा 0.28 है0, खाता संख्या 30 में वर्णित खसरा न0 58 रकबा 0.36 हेक्टर तथा ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का जयनगर तहसील अन्ता के माल मे खाता संख्या 32 की खसरा न०

अति० सं० आयुक्त
कोटा

677 रकबा 0.010 हेक्टर, खाता संख्या 33 मे खसरा न0 646 रकबा 1.97 हेक्टर, खाता संख्या 34 में वर्णित खसरा न. 676 रकबा 3.31 हेक्टर स्थित है। खेमलाल उर्फ खेमराज की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलान्टा ने अपने पिता खेमलाल उर्फ खेमराज जी की मृत्यु के उपरान्त उनके खातेदारी की आराजियात का इन्तकाल खुलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता के यहाँ पेश किया तथा अपीलान्टा के मृतक पिता खेमलाल उर्फ खेमराज जी के भाई जगदीश द्वारा भी अपीलान्टा के पिता खेमलाल उर्फ खेमराज जी का वारिस स्वयं व बहिन घींसी बाई को बताकर एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के पिता के खातेदारी की आराजियात का इन्तकाल खुलवाने हेतु पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खेमलाल उर्फ खेमराज वारिसान से सम्बधित रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवायी गयी। जिसमे पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टा को मृतक खेमलाल उर्फ खेमराज की पुत्री होना जाहिर किया है। इस संबंध में अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य में अपीलान्ट स्वयं व संजय कुमार पुत्र श्री लटूर लाल मेहर भूतपूर्व सरपंच जयनगर, बलराम पुत्र श्री गोपाल धाकड, सुरेन्द्र पुत्र श्री परमानन्द धाकड, भंवर लाल पुत्र श्री गोवरी लाल धाकड, महावीर पुत्र श्री देवीशकर धाकड, रूकमणी बाई पत्नी खेमलाल धाकड़, निवासीगण जयनगर व केसरी लाल पुत्र श्रीलाल धाकड़ निवासी रीढोद, तहसील बारां, जानकी लाल पुत्र श्री शंकर धाकड निवासी करनाहडा तहसील बारां के बयान करवाये तथा इसी प्रकार रेस्पो० क्रम 1 द्वारा श्रीमति अभिलाषा पुत्री श्री चन्द्रमोहन धाकड (सरपंच) निवासी हापाहेडी तहसील अन्ता, जगदीश पुत्र श्री भंवर लाल स्वयं रेस्पो० क्रम 1, गोबरी लाल पुत्र प्रभू लाल धाकड, मथुरा लाल पुत्र श्री ओमकार बेरवा, राजेन्द्र पुत्र श्री जोधराज धाकड, राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू लाल धाकड, बद्री लाल पुत्र श्री लटूर लाल धाकड, अजय नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश धाकड, अनिल नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश धाकड, गोमदी बाई पत्नी श्री ओमप्रकाश धाकड निवासीगण जयनगर तहसील अन्ता तथा बिरधी लाल पुत्र श्री शंकर लाल धाकड निवासी करनाहेड़ा तहसील बारां भगवान लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड निवासी रीठोद तहसील बारां के बयान दर्ज करवाये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाह की साक्ष्य व दस्तावेज पर कोई ध्यान ना देकर दिनांक 02.12.2024 को निर्णय पारित करते हुये अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पो० कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्टा के पिता के खातेदारी की आराजियात का नामान्तकरण रेस्पो० क्रम 1 व 2 के पक्ष म तस्दीक किये जाने निर्णय पारित किया गया।

अति० संभागीय आयुक्त
कोटा

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 02.12.2024 पत्रावली पर विद्यमान तथ्यो एवं मौजूदा कानून के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० क्रम 1 एवं 2 ने मिलीभगत करके अपीलान्ट के पिता श्री खेमलाल उर्फ खेमराज के कोई संतान ना होना बताकर उनकी खातेदारी की उपरोक्त आराजी का इन्तकाल नं0 739 दिनांक 04.12.2024 को तस्दीक करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतक पिता श्री खेमलाल उर्फ खेमराज की वैधानिक पुत्री एवं वारिसान होने का दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे, किन्तु उक्त दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया गया। अपीलान्टा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह तथ्य रखे गये थे कि पत्रावली में माननीय न्यायालय में बयान तो दर्ज किये गये लेकिन गवाहान से जिरह करने का अवसर राजेन्द्र नागर के अधिवक्ताओ को प्रदान नहीं किया गया। जगदीश प्रसाद की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयान में अपने बयानो मे खेमलाल उर्फ खेमराज द्वारा दो शादीयां करना बताया है तथा राजेश नागर अपनी माता रूकमणी के साथ खेमलाल उर्फ खेमराज के साथ रहना बताया गया। जिससे प्रमाणित होता है कि खेमलाल उर्फ खेमराज की उक्त वर्णित कृषि भूमि की पिता खेमलाल उर्फ खेमराज के बाद जायज वारिस है तथा स्वयं जगदीश प्रसाद ने अपने गवाहो के विपरित बयान दिये है। जिनमे विरोधाभास उत्पन्न होने से मान्य नही है तथा जगदीश प्रसाद के बयान पर जिरह नही होने से वह साक्ष्य में कानून ग्राहय नही हैं। राजेश नागर प्रार्थीया की ओर से अपने पक्ष में किये गये गवाहान द्वारा अपने बयानों मे स्पष्ट बताया है कि रूकमणी बाई का नाता विवाह खेमलाल उर्फ खेमराज के साथ हुआ था तथा राजेश नागर खेमलाल उर्फ खेमराज की पुत्री है। खेमलाल उर्फ खेमराज की कृषि भूमि पर काश्तकारी राजेश नागर पुत्री एवं रूकमणी बाई पत्नी करती है एवं स्वयं राजेश नागर प्रार्थीया के बयान में जिरह की गई है, जिससे भी प्रमाणित है कि राजेश नागर खेमलाल उर्फ खेमराज की जायज पुत्री है। प्रार्थीया राजेश नागर के समस्त अध्ययन से संबंधित दस्तावेजों में व विवाह प्रमाण पत्र एवं समस्त अंकतालिकाओ व अन्य दस्तावेज मे पिता का नाम खेमलाल उर्फ खेमराज दर्ज है, जिससे यह प्रमाणित है कि राजेश नागर प्रार्थीया खेमलाल उर्फ खेमराज की उक्त वर्णित कृषि की स्वामी व मालिक है। इसलिये प्रार्थीया राजेश नागर अपने पिता खेमलाल उर्फखेमराज के खातेदारी की भूमि को

अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। इस प्रकार राजेश नागर के समस्त दस्तावेजो से बेखूबी प्रमाणित है कि राजेश नागर खेमलाल उर्फ खेमराज की पुत्री है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज व लिखित बहस व प्रस्तुत गवाह के बयान को नजर अन्दाज करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत गवाह से जिरह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिये रेस्पो० क्रम 1 व उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहान से जिरह नही हो सकी। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक खेमलाल उर्फ खेमराज की वैधानिक पुत्री वारिस व उत्तराधिकारी अपीलान्टा के नाम उक्त आराजियात का इन्तकाल खोलने व राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टा का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलांटा के द्वारा खेमलाल उर्फ खेमराज पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर अंता का दिनांक 21.09.2023 को स्वर्गवास होने पर मृतक खातेदार खेमलाल उर्फ खेमराज की आराजी के संबंध में प्रार्थना–पत्र पेश कर अपीलांट के पिता का फौती इंतकाल खोले जाने का अनुरोध किया गया था, जिसमें अपीलांटा को मृतक खेमलाल की पुत्री नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.03.2024 में गलत रूप से मृतक खेमलाल के केवल जगदीश प्रसाद को भाई एवं घीसींबाई को बहिन होना बताया गया। जबकि दिनांक 02.04.2024 (मौका दिनांक 29.03.2024) की पटवारी हल्का रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये गये थे कि कुछ ग्रामवासियान के द्वारा मृतक के वारिसान मे एक पुत्री राजेश नागर का होना बताया गया है। अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतक पिता श्री खेमलाल उर्फ खेमराज की वैधानिक पुत्री एवं वारिसान होने का दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र

अति० आयुक्त
कोटा

एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे, किन्तु उक्त दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया गया। अपीलान्टा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने पक्ष को साबित करने हेतु यह समस्त तथ्य रखे गये थे कि "पत्रावली में माननीय न्यायालय में बयान तो दर्ज किये गये लेकिन गवाहान से जिरह करने का अवसर राजेन्द्र नागर के अधिवक्ताओ को प्रदान नहीं किया गया। जगदीश प्रसाद की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयान में अपने बयानो मे खेमलाल उर्फ खेमराज द्वारा दो शादीयां करना बताया है तथा राजेश नागर अपनी माता रूकमणी के साथ खेमलाल उर्फ खेमराज के साथ रहना बताया गया। जिससे प्रमाणित होता है कि खेमलाल उर्फ खेमराज की उक्त वर्णित कृषि भूमि की पिता खेमलाल उर्फ खेमराज के बाद जायज वारिस है तथा स्वयं जगदीश प्रसाद ने अपने गवाहो के विपरित बयान दिये है। प्रार्थीया राजेश नागर के समस्त अध्ययन से संबंधित दस्तावेजों में व विवाह प्रमाण पत्र एवं समस्त अंकतालिकाओ व अन्य दस्तावेज मे पिता का नाम खेमलाल उर्फ खेमराज दर्ज है, जिससे यह प्रमाणित है कि राजेश नागर प्रार्थीया खेमलाल उर्फ खेमराज की उक्त वर्णित कृषि की स्वामी व मालिक है। इसलिये प्रार्थीया राजेश नागर अपने पिता खेमलाल उर्फखेमराज के खातेदारी की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। इस प्रकार राजेश नागर के समस्त दस्तावेजो से बेखूबी प्रमाणित है कि राजेश नागर खेमलाल उर्फ खेमराज की पुत्री है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज व लिखित बहस व प्रस्तुत गवाह के बयान को नजर अन्दाज करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत गवाह से जिरह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिये रेस्पो० क्रम 1 व उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहान से जिरह नही हो सकी। अपीलांटा के द्वारा प्रश्नगत आराजी के संबंध में रेस्पो0 के विरूद्ध नियमित वाद पेश कर रखा है, जो लम्बित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि जिससे यह साबित हो सके की अपीलांटा मृतक खेमलाल की पुत्री नहीं है। घींसी बाई की मृत्यु खेमलाल से पूर्व ही हो चुकी थी तथा राजेश बाई के नरपत की पुत्री होने का कोई रिकोर्ड नहीं है और नहीं ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक ही पटवारी हल्का की दो रिपोर्ट है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पटवारी के बयान में प्रकरण में शामिल किये जाने चाहिए थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2024 निरस्त फरमाया जावे।

अति. संभागायुक्त
कोटा

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 2 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंता के समक्ष अपीलांटा राजेश नागर की ओर से वाद प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंता के द्वारा प्रकरण संख्या 126/2024 दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 19.12.2024 को Ex-party स्थगन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 क्र. 1 जगदीश के द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपील पेश करने पर उक्त स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2024 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमित वाद विचाराधीन है तथा पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण भी उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय से होना है। ऐसी स्थिति में घोषणा से संबंधित प्रश्न का निर्णय नियमित वाद में होने तथा नियमित वाद के विचाराधीन होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2019(2) Page No. 1118, RRT 2019(1) Page No. 593, 2021(2) DNJ [Rev.] page No. 1041** पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया गया है कि खेमलाल ने दो शादियां की थी जो करीब 40 वर्ष पहले खेमलाल को छोड़कर नाते चली गई थी, जिनके कोई पुत्र–पुत्री नहीं हुए तथा उनके वारिसान में भाई जगदीश पुत्र भंवरलाल व बहिन घींसीबाई है। अपीलांटा राजेश नागर के पिता एवं रूकमणी के पति का नाम नरपत धाकड़ हैं तथा राजेश नागर की माता रूकमणी बाई का पेंशन में पीपीओ में पति का नाम नरपत धाकड़ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान, गवाहों के बयान, साक्ष्य एवं जिरह का समुचित अवसर दिया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा निर्णय दिनांक 02.12.2024 पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

न्यायालय के समक्ष जगदीश एवं राजेश नागर की ओर से खेमलाल उर्फ खेमराज पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर अंता का दिनांक 21.09.2023 को स्वर्गवास होने पर मृतक खातेदार खेमलाल उर्फ खेमराज की आराजी के संबंध में पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र पेश कर वारिसान के नाम फौती इंतकाल खोले जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रो के संबंध में प्रार्थीया राजेश नागर के द्वारा मृतक खेमलाल की पुत्री होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया जाना वर्णित करते हुए राजेश नागर का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। साथ ही जगदीश प्रसाद के मृतक खेमलाल का सगा भाई व घींसी बाई (मृतक) सगी बहन होने तथा मृतक खेमलाल का अन्य कोई जायज वारिस ना होना वर्णित करते हुए प्रार्थी जगदीश प्रसाद को उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मृतक खेमलाल का वारिस मानते हुए मृतक खेमलाल धाकड़ निवासी जयनगर के खाते की आराजी ग्राम गोविन्दपुरा के खाता संख्या 34 की खसरा सं0 676 रकबा 3.31 है0, खाता सं0 32 के खसरा सं 677 रकबा 0.010 है0, खाता सं0 33 खसरा सं0 646 रकबा 1.97 है0 एवं ग्राम जयनगर की आराजी खसरा सं0 28 की खसरा सं0 108 रकबा 0.28 है0 एवं खाता सं0 30 की खसरा सं0 58 रकबा 0.36 है0 भूमि पटवार मण्डल जयनगर पर मृतक खातेदार खेमलाल पुत्र भंवरलाल का फौती नामांतरकरण सह खातेदार भाई जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल एवं घींसी बाई पुत्री भंवरलाल के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश दिनांक 02.12.2024 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांटा का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज व लिखित बहस व प्रस्तुत गवाह के बयान को नजर अन्दाज करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में मृतक पिता श्री खेमलाल उर्फ खेमराज की वैधानिक पुत्री एवं वारिसान होने का दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे, किन्तु उक्त दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत गवाह से जिरह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलांटा राजेश नागर के पिता एवं रूकमणी के पति का नाम नरपत्त धाकड़ हैं तथा राजेश नागर की माता रूकमणी बाई का पेंशन में पीपीओ में पति का नाम नरपत धाकड़ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान, गवाहों के बयान,

अति. संभागायुक्त
कोटा

साक्ष्य एवं जिरह का समुचित अवसर दिया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा निर्णय दिनांक 02.12.2024 पारित किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.10.2024 अनुसार रेस्पो0 क्र.1 जगदीश प्रसाद की ओर से प्रार्थना–पत्र वास्ते गवाहान को जिरह का अवसर प्रदान करने का पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलांट राजेश नागर को दिनांक 30.10.2024 को बयान एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। इसके उपरांत दिनांक 27.11.2024 को अपीलांटा राजेश नागर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर प्राथिया को अप्रार्थी के गवाहान से जिरह करवाये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय के प्रार्थना–पत्र को दिनांक 27.11.2024 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटा को जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक पक्ष को जिरह करने का अवसर दिया गया तथा एक पक्ष को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में रेस्पो0 का तर्क रहा है कि घोषणा से संबंधित प्रश्न का निर्णय नियमित वाद में होने तथा नियमित वाद के विचाराधीन होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं है। इस संबंध में हम यह विवेचन किया जाना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्षकारान की ओर से खेमलाल उर्फ खेमराज पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर अंता वारिसान के नाम फौती इंतकाल खोले जाने का अनुरोध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को जिरह करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित

अति. आयुक्त
कोटा

समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण बउनवान खेमलाल उर्फ खेमराज बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2024 अपास्त किया जाता है। प्रकरण इन दिशा–निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभयपक्षकारान को जिरह करने, सुनवाई एवं अपने पक्ष में साक्ष्य/दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर 3 माह में तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

12/09/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. स. आयुक्त
कोटा